


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1087 पार्ट)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 933 दिनांक 23.06.2016 द्वारा श्रीमती अनुराधा ओझा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ़ मुख्यालय सुवाणा (भीलवाड़ा) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 22.09.2017 से 16.01.2018 तक 117 दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 17.01.2018 से 19.01.2018 तक 03 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
3. दिनांक 20.01.2018 से 22.09.2018 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1087 पार्ट)/2018/ 948

दिनांक:- 15/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ़ मुख्यालय सुवाणा (जिला भीलवाड़ा)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर